भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1713

उत्तर देने की तारीख: 02.03.2020

मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता

1713. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पोषण मानदंडों के लिए तय मानक से कम पाए गए मध्याह्न भोजन के बारे में प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार ने उक्त शिकायतों के संबंध में क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): सरकारी स्कूलों में पोषण मूल्यों से संबंधित मानकों के अनुसार मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। तथापि, पिछले दो वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में भोजन की खराब गुणवत्ता के संबंध में कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 6 राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त कृत कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) के अनुसार, इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

यह भी बताया जाता है कि पात्र बच्चों को पका हुआ और पोषणयुक्त मध्याह्न भोजन देने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासकों की होती है। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त कृत कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासकों द्वारा जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध चेतावनी जारी करना, संबंधित गैर सरकारी संगठनों/संगठनों की संविदा को रद्द करना, चूककर्ता व्यक्तियों/अधिकारियों/संगठनों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करना और शास्ति लगाने जैसी कार्रवाई की गई है।

*****

'मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री मितेष पटेल (बकाभाई), श्रीमती शारदा अनिल पटेल द्वारा लोक सभा में दिनांक 02.03.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1713 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खराब गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	की गई कार्रवाई का प्रकार	**2018**	**2019**	**2020**	**कुल**
1	विभागीय कार्रवाई (चेतावनी, स्थानांतरण, निलंबन सहित) और सेवा प्रदायकों/राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित शिकायत के विरूद्ध की गई कार्रवाई	**3**	**5**	**0**	**8**
2	सामान्य सुधारात्मक कार्रवाई जिसमें राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा संबंधित व्यक्तियों को अनुदेश जारी करना शामिल है।	**0**	**1**	**0**	**1**
3	निराधार, अप्रमाणित, एमडीएम से संबधित नहीं।	**3**	**1**	**0**	**4**
	कुल	**6**	**7**	**0**	**13**

*****